



फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 293/20 23

गोविन्दनारायण बनाम सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है। दावा में बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 07.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) </p>	
	07.05.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील वादी की पूर्व में सुनी गई। वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू का जवाब पेश हो चुका है।</p> <p>बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर व उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादी के दादाजी का नाम भोमा पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर भोमा पुत्र लक्ष्मण दुरुस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो! निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) </p>	